भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 653
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है ।
1 श्रावण, 1947 (शक)

साइबर सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने हेतु उठाए गए कदम

653. डॉ. अमर सिंह:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने, डिजिटल आधारभूत संरचना के निर्माण और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि हाल के वर्षों में देश में साइबर खतरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें व्यक्ति और संगठन दोनों विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने हेतु सरकार द्वारा अब तक कौन-कौन सी पहल की गई हैं या की जा रही हैं, उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** सरकार ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा मानकों को सुधारने, डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। सरकार साइबर खतरों और चुनौतियों के प्रति सजग और सतर्क है। देश में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी से, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अपनी तकनीकी समितियों के माध्यम से साइबर सुरक्षा मानक तैयार करता है। ये समितियाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आईईसी) की संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समितियों के लिए राष्ट्रीय दर्पण समितियों के रूप में भी कार्य करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों में भारत की सक्रिय भूमिका वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देती है, उभरते विकासों की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करती है, विकसित हो रही श्रेष्ठ पद्धतियों के साथ तालमेल को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाती है।

ii. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

iii. सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70क के प्रावधानों के अंतर्गत देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

iv. सर्ट-इन साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ काम करता है, जिनमें दूरसंचार सुरक्षा परिचालन केंद्र (टीएसओसी), भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) आदि शामिल हैं।

v. सर्ट-इन अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर जी-20 शिखर सम्मेलन, संसद 20 शिखर सम्मेलन, राम जन्मभूमि कार्यक्रम, महाकुंभ आदि के दौरान साइबर हमलों को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम रहा।

vi. साइबर सुरक्षा पेशेवरों, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

vii. सर्ट-इन सक्रिय खतरे के शमन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ अनुकूलित अलर्ट साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर खतरा खुफिया आदान-प्रदान मंच संचालित करता है।

viii. सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की साइबर सुरक्षा स्थिति और तैयारियों का आकलन करने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं।

ix. साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक पहुँचाती है। साइबर स्वच्छता केंद्र एक बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है जो दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है, साथ ही नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा सुझाव और श्रेष्ठ पद्धतियाँ भी प्रदान करता है ।

x. सर्ट-इन ने सभी मंत्रालयों/केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और उनके संगठनों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की है।

xi. सर्ट-इन ने सूचना सुरक्षा श्रेष्ठ पद्धतियों के कार्यान्वयन का समर्थन और लेखा परीक्षा करने के लिए 200 सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों को सूचीबद्ध किया है।

xii. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में साइबर घटना प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए सर्ट-इन के अंतर्गत वित्त क्षेत्र में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (सीएसआईआरटी-फिन) मई 2020 से कार्यरत है।

xiii. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम), प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, प्रत्येक वर्ष 1 से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा तथा प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) मनाता है, जिसके अंतर्गत भारत में नागरिकों के साथ-साथ तकनीकी साइबर समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

******